| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>**मधु कुम्भट बनाम लो.सू.अ. ( कोषाधिकारी ग्रामीण, जोधपुर )**<br>सू.अ.अ. अपील संख्या 136/2022 | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 16-06-2022 | अपीलार्थी श्रीमती मधु कुंभट पत्नी भूपेन्द्र कुम्भट, पता काजीवाड़ा, मोतीचौक, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 23.03.2022 में (1) मेरे पिता श्री चंचलमल गांग पुत्र स्व. केवलमल गांग जो कि दिनांक 31.05.2001को कार्यालय सहायक के पद से निदेशक, प्राविधिक शिक्षा जोधपुर से सेवानिवृत हुए थे। श्री चंचलमल गांग का स्वर्गवास दिनांक 06.04.2021 को हो चुका है, सं सबंधित सेवानिवृत उपरान्त पीपीओ नं. 431359(आर) द्वारा पेंशन स्वीकृत की जाकर माह जून, 2001 से पेंशन राशि का भुगतान किया गया है अतः प्रतिमाह किये गये पेशंन राशि भुगतान की सूचना मय दस्तावेज, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( कोषाधिकारी ग्रामीण, जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (कोषाधिकारी ग्रामीण जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (कोषाधिकारी ग्रामीण जोधपुर) से जरिये पत्रांक 298 दिनांक 07.06.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी को बिन्दुवार सूचना कार्यालय के पत्रांक/को.ग्रा.जो./सूचना/2022/293 दिनांक 18.05..22 को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा निशुल्कः सूचना प्रेषित कर दी गई है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को निशुल्कः सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को प्रेषित हो। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 18:20:28 IST
Reason: SelfAttested